न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास - पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 259/2020

निर्णय दिनांक 11.2.2021

सन्तलाल पुत्र मामराज जाति नाई निवासी दुबकियाताल तहसील सिधमुख जिला चूरू

बनाम - वादी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिधमुख जिला-चूरू

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत-धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शिवराण अधिवक्ता वास्ते वादी
2. पैरोकारराज वास्ते प्रतिवादी

निर्णय

वाद के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि वाद ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act. व 136 L.R.Act. का इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि ख०न० 281 तादादी 5.2736 है० ख०न० 370/285 तादादी 0.6324 है० रोही दुबकियाताल तहसील सिधमुख जिला चूरू मे स्थित है जिसमे प्रार्थी अपने हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित कृषि भूमि मे वादी का अशुद्ध नाम सत्यवीर दर्ज है तथा वादी के पहचान के अन्य समस्त दस्तावेज मे शुद्ध नाम सन्तलाल है। वादी को घर मे सत्यवीर के नाम से पुकारा जाता है जिस कारण राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम विरासतन नामा० दर्ज करते समय घरेलू नाम सत्यवीर बता दिया गया जिस कारण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अशुद्ध रूप से सत्यवीर दर्ज कर दिया गया जिससे वादी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आदि-आदि पेश कर जमाबन्दी में नाम शुद्ध करने का अनुतोष चाहा गया है

वाद प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सिधमुख से जाँच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सिधमुख के सत्यवीर व सन्तलाल एक ही व्यक्ति के नाम है जिससे प्रकरण के तथ्यों की पुष्टि होती है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में खातेदार के नाम की अशुद्धि है तथा अनुतोष धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत आता है। अतः वाद को धारा 136 L.R.Act. के तहत पाया जाने से प्रकरण को आंशिक रूप से प्रार्थनापत्र धारा 136 L.R.Act. की हद तक स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सत्यवीर पुत्र मामराज के स्थान पर सन्तलाल पुत्र मामराज दर्ज कर शुद्धि के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार पालना हेतु परवाना जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)